UPBG010009972026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.

कम्प्यूटर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 350/2026

1. अरूण कुमार पुत्र सुरेन्द्र, निवासी शंकर विहार पालम विहार दक्षिणी दिल्ली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

एवं

UPBG010013022026

कम्प्यूटर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 463/2026

1. परमेश्वर पुत्र राधेश्याम शर्मा,
2. कार्तिक कौशिक पुत्र परमेश्वर कौशिक,

निवासीगण डी 64 गली नम्बर 5 अम्बेडकर विहार अमन मौहल्ला जौहरीपुर दिल्ली नया आदर्श पब्लिक विद्यालय के पास उत्तरपूर्वी दिल्ली।

3. अनुराग कुमार कौशिक पुत्र धर्मेश्वर कुमार,
4. अनमोल कुमार कौशिक पुत्र धर्मेन्द्र कुमार कौशिक,

निवासीगण डी 12 गली नम्बर 1 नियर शिव विहार मैट्रो स्टेशन अमर मौहल्ला अम्बेडकर विहार जौहरीपुर नॉर्थ इस्ट दिल्ली।

5. हर्ष पुत्र अरूण कुमार, निवासी शंकर विहार पालम विहार दक्षिणी दिल्ली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–328/2024
धारा–115(2),117(2),109(1),
191(2),191(3)बी.एन.एस.,
थाना–छपरौली,
जिला–बागपत।

दिनांकः–06–03–2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अरूण कुमार एवं परमेश्वर, कार्तिक कौशिक, अनुराग, अनमोल कुमार कौशिक व हर्ष की ओर से यह दो अलग–अलग प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं।

यह दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध की घटना से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्तगण स्वयं का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है।** अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.06 16:53:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण ने उक्त अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष हैं। उन्होने उक्त अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रंजिशन दर्ज करायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही जान से मारने की नीयत से कोई चोट पहुॅचाई गयी है। असल तथ्य यह है कि दिनांक 23.11.2024 को परमेश्वर अपने भाई धर्मेश्वर व उसके परिवार वाले अपने भतीजे निरंकार पुत्र रामरिसी निवासी ग्राम लुहाना थाना छपरौली, जिला बागपत की शादी में सिटी ग्रीन मैरिज होम शामली गये हुए थे, जहॉ पर उज्ज्वल, आशु के साथ अक्षय, आर्यन, नन्दकिशोर का आपस में झगडा हो गया था। परमेश्वर के लडके कार्तिक व धर्मेश्वर के लडके अनुराग व अनमोल ने उनका बीच बचाव करा रहे थे तो वहॉ पर उज्ज्वल व आर्यन ने अनुराग व अनमोल के साथ भी मारपीट कर दी थी, तत्पश्चात उक्त परमेश्वर व धर्मेश्वर उक्त घटना के बाद अपने परिवार के साथ गाडी में अपने गॉव लुहारा जा रहे थे तो रास्ते में विशाल, विवेक, नीरज, नन्दकिशोर, अक्षय, आर्यन, नन्दकिशोर आदि लोगें ने परमेश्वर व धर्मेश्वर की गाडी का पीछा किया तथा जब यह लोग घर पहुॅचे तो इन सभी लोगों ने लाडी–डंडों व हथियारों से लैस होकर इन लोगों पर हमला कर दिया तथा विशाल पुत्र सुरेश शर्मा ने धर्मेश्वर की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में परमेश्वर ने थाना छपरौली पर उक्त लोगों के विरूद्ध मु०अ०सं० 303/2024 धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2), 352, 103(1), 3(5) बी.एन.एस. में मुकदमा कायम कराया था। इस घटना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को भी चोटें आई थीं। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात विशाल ने अपनी भाभी मनीषा पत्नी विवेक से एक झूॅठा मुकदमा उपरोक्त वर्णित अपराध संख्या 303/2024 के वादी परमेश्वर व घटना के चश्मदीद साक्षियों के विरूद्ध धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत न्यायालय के आदेश से झूॅठे व गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराया गया है। उक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य कथित घटना के सम्बन्ध में नहीं पाये जाने पर मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी , जिसके पश्चात अभियुक्तगण केा उक्त मुकदमें में दिनांक 04.12.2025 को न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सम्बन्धित थाना पुलिस अभियुक्तगण को जारी प्रोसेस के आधार पर गिरफतार करना चाहती है। अभियुक्तगण के कारागार में निरूद्ध रहने अथवा पुलिस द्वारा गिरफतार कर लेने से उनका भविष्य खराब होने की प्रबल सम्भावना है। वह अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने पर विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा न्यायालय अथवा पुलिस के आदेशित किये जाने पर स्वयं निर्देशित स्थान व समय पर उपस्थित हो जायेंगे। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं, उनके द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी–डंडो आदि से मारपीट करके वादी पक्ष के सात लोगों को गम्भीर उपहति कारित की गयी है तथा चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण भी पुलिस द्वारा कराया गया था, परन्तु विवेचक द्वारा गलत तरीके से उक्त प्रकरण में अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी। न्यायालय के आदेश से अभियुक्तगण को उक्त वर्णित अपराध के लिए तलब किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केसडायरी/पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी श्रीमती मनीषा ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा

173(4) बी.एन.एस.एस. इन कथनों के साथ योजित किया कि वह अपने पारिवारिक सदस्यों एवं रिश्तेदारों के साथ दिनांक 23.11.2024 को शाम के समय अपनी मौसी के लडके निरंकार निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली की बारात ग्रीन सिटी पैलेस शामली गये थे। रात्रि ग्यारह बजे अनमोल पुत्र धर्मेश्वर व हर्ष पुत्र अरूण ने उसके डी.जे. पर डांस करते समय सीने व कमर के नीचे गन्दी नीयत से हाथ मारा, यह दोनों शराब पीये हुए थे। उसने छेडछाड का विरोध किया तथा अनमोल को चांटा मार दिया तो यह लोग उसके गाली गलौंज करने लगे तथा देख लेने की धमकी देने लगे। माहौल खराब देखते हुए उसके साथ बारात में गये उसके पति विवेक, विशाल, तनु पत्नी निशाल व मीनाक्षी पत्नी नीरज शर्मा, संगीता पत्नी राकेश, श्रीमती राधा पत्नी अश्वनी, नीरज शर्मा, अक्षय, नन्दकिशोर, मीनू पत्नी नन्दकिशोर, सुनील ड्राईवर सभी लोग वापस रात्रि को मौसी के घर ग्राम लुहारा आ गये। उनका पीछा करते हुए गाडियों से परमेश्वर, धर्मेश्वर , अनमोल, अनुराग, कार्तिक व अरूण, हर्ष सभी ग्राम लुहारा आये सभी ने अपने अपने हाथों में लिये लोहे की रॉड, बलकटी, चाकू, लोहे के पंच से एकराय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हर्ष के हाथ में अवैध पिस्टल था, जिससे हर्ष फायर कर रहा था, जिसकी एक गोली धर्मेश्वर को लगी। हमले में वह, अनिरूद्ध, मीनू शर्मा, संगीता, नन्दकिशोर, आर्यन, नीरज आदि को काफी गम्भीर चोटें आयी। उसने अपने मोबाइल से पुलिस व 112 नम्बर पर फोन किया, पुलिस मौके पर आयी और सभी घायलों को सी.एच.सी. छपरौली, जिला बागपत ले गयी। पुलिस ने सभी घायलों का डाक्टरी परीक्षण अपनी अभिरक्षा में कराया। चिकित्सक द्वारा घायल नीरज शर्मा व नन्दकिशोर की चोटों को गम्भीर पाते हुए हायर सेन्टर रेफर कर दिया, जिनका इलाज चल रहा है। सम्बन्धित थाना पुलिस छपरौली द्वारा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

वादिनी के उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए विद्वार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा आदेश दिनांकित 20.12.2024 के द्वारा थानाध्यक्ष छपरौली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। विवेचक द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में मु.अ.सं. 328/2024 प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 75(2), 352, 351(2), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस. पंजीकृत कर प्रकरण में विवेचना की गयी तथा विवेचना के उपरान्त प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी, जिसे प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत कर परिवादी को नोटिस जारी किया गया। परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त आदेश दिनांकित 04.12.2025 पारित करते हुए पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या संख्या 21/2025 दिनांकित 30.03.2025 को निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 115(2), 117(2), 109(1), 191(2), 191(3)बी.एन.एस. के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया तथा यह भी आदेशित किया गया कि यह वाद स्टेट केस की भांति प्रचलित होगा।

चुटैल मनीषा के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी है, जो साधारण प्रकृति की है।

चुटैल अनिरूद्ध के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी है, जो साधारण प्रकृति की है।

चुटैल मीनू शर्मा के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर तीन चोट पायी गयी हैं, जिनमें सक एक चोट को जेरे निगरानी रखा गया है तथा दो चोटें साधारण प्रकृति की है।

चुटैल संगीता के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी है, जो साधारण प्रकृति की है।

चुटैल नन्दकिशोर के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी है, जिसे जेरे निगरानी रखा गया है।

चुटैल आर्यन वशिष्ठ के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर तीन चोटें पायी गयी हैं, जिनमें से एक चोट को जेरे निगरानी रखा गया है तथा दो चोटें साधारण प्रकृति की है।

चुटैल नीरज के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर दो चोट पायी गयी हैं, जिनको जेरे निगरानी रखा गया है। चुटैल नीरज की सी.टी. स्कैन ऑफ ब्रेन रिपोर्ट के अनुसार उसकी जायगोमेटिक बोन में नॉनडिस्पलेस्ड फ्रेक्चर पाये जाने का उल्लेख है। चुटैल नीरज शर्मा की पूरक आख्या के अनुसार चुटैल को डिस्चार्ज किये जाने के समय उसकी स्थिति स्थिर व संतोषजनक थी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रकरण का क्रॉस केस है, जिसमें वादी पक्ष के लोग अभियुक्त हैं तथा वादीपक्ष द्वारा की गयी फायरिंग में अभियुक्त पक्ष के धर्मेश्वर की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वादी पक्ष के लोगों के विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से मु०अ०सं० 303/2024 धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2), 352, 103(1), 3(5) बी.एन.एस. में मुकदमा थाना छपरौली पर कायम कराया था, जिसमें बाद विवेचना आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा प्रकरण में विचारण चल रहा है। उक्त प्रकरण में दबाब बनाने के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित प्रकरण वादिनी द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य न पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी। न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र के आधार पर अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया है।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादिनी मुकदमा श्रीमती मनीषा द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, जिस पर अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.12.2024 के द्वारा थानाध्यक्ष छपरौली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। विवेचक द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में मु.अ.सं. 328/2024 प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 75(2), 352, 351(2), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस. पंजीकृत कर प्रकरण में विवेचना की गयी तथा विवेचना के उपरान्त प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी, जिसे प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत कर परिवादी को नोटिस जारी किया गया। परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त आदेश दिनांकित 04.12.2025 पारित करते हुए पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या संख्या 21/2025 दिनांकित 30.03.2025 को निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 115(2), 117(2), 109(1), 191(2), 191(3)बी.एन.एस. के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है। प्रकरण का क्रॉस केस होना बताया गया है, जिसमें वादीपक्ष द्वारा कारित घटना में अभियुक्त पक्ष के धर्मेश्वर की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गयी, जिसमें वादीपक्ष के लोग अभियुक्तगण के रूप में नामित हैं तथा प्रकरण सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। उभयपक्ष को यह स्वीकार है कि वादीपक्ष व अभियुक्तपक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तथाकथित चुटैलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं , मात्र चुटैल नीरज शर्मा की जायगोमेटिक बोन में नॉनडिस्पलेस्ड फ्रेक्चर पाये जाने का उल्लेख किया गया है। चुटैल नीरज शर्मा की पूरक आख्या के अनुसार चुटैल को डिस्चार्ज किये जाने के समय उसकी स्थिति स्थिर व संतोषजनक होने का उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी थी, जिस पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटिशन के आधार पर अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण का क्रॉस केस है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाने का पर्याप्त आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अरूण कुमार एवं परमेश्वर, कार्तिक कौशिक, अनुराग, अनमोल कुमार कौशिक व हर्ष की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दौरान विचारण स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण दस दिन के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा मु० पचास हजार रूपये का बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण को अधोलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेगा–

1. अभियुक्तगण इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे।
2. अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्तगण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 463/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः–06.03.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P. 1909